न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा

उपस्थित–विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–925/2026
सुन्दर प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–302/2024, धारा–191(2),191(3),190,115(2), 118(1),117(2),110,352,351(3) भारतीय न्याय संहिता , थाना बरसाना, जिला मथुरा के अभियुक्त **सुन्दर** की ओर से अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने हेतु यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– इस प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर एकराय होकर लाठी, डण्डा, फरसा, सरिया लेकर गालीगलौज करते हुए वादी व वादी के परिजनों के साथ मारपीट करना, जिससे वादी के पुत्र सुन्दर के सिर में गम्भीर चोट आने पर बेहोश हो जाना व जान से मारने की धमकी देना, आक्षेपित है।

बाद विवेचना प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है।

3– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देते हुए उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्यतः कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त को झूंठा फंसाया गया है, वह पूर्णतः निर्दोष है। अभियोजन कथानक कपोल कल्पित, काल्पनिक एवं मनगढ़न्त है। यह उसका द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र नोट प्रेस कर लिये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया था। इससे पूर्व कोई द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, न खारिज हुआ और न लम्बित है। मुकदमा विलम्ब से दर्ज कराया गया है विलम्ब का कोई कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है। कथित घटना का कोई स्वतन्त्र, निष्पक्ष जनसाक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में जो दो साक्षी ध्रुव पाल व वीरपाल दिखाये हैं वो वादी के परिवार के व्यक्ति हैं। मेडीकल रिपोर्ट के अनुसार चुटैल सुनीता, सुन्दर, नीरू, लक्ष्मी के कोई फ्रेक्चर नहीं आया है, चुटैल महेन्द्र के दाहिने हाथ की उंगली में फ्रेक्चर पाया गया तथा चुटैल सुन्दर की सी०टी० स्कैन रिपोर्ट में कोई फ्रेक्चर नहीं पाया गया। वादी द्वारा अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नीरू पत्नी सुन्दर का नाम अंकित नहीं कराया है लेकिन बाद में नीरू का नाम भी चुटैल व्यक्तियों में अंकित कराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटनास्थल पर बेहोश होने वाले चुटैल सुन्दर के कोई चोट नहीं है, बगैर चोट के सुन्दर बेहोश कैसे हो गया केवल धारा 110 बी०एन०एस० का इजाफा कराने हेतु चुटैल ने घटनास्थल पर बेहोश होने का अभिनय किया था वह घटनास्थल व बेहोश नहीं हुआ था। वाद विवेचना विवेचक द्वारा आरोपपत्र पेश कर दिया अब कोई विवेचना शेष नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, न ही वह पूर्व सजायाफ्ता हैं। उसको उक्त वाद में अपनी गिरफ्तारी की पूर्ण आशंका है, अतः उसको दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान की जाये।

5– प्रतिवाद में अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्यतः तर्क दिए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कथित अपराध कारित किया गया है तथा बाद विवेचना आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत हो चुका है।

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.04.17 15:39:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6– स्वीकृत रूप से इस मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है तथा दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से चुटैल बताये गये मजरूबों की चोटें किस सीमा तक गम्भीर थी, यह साक्ष्य की विषयवस्तु है। अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदक/अभियुक्त की किसी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर कोई मत प्रकट किए, आवेदक/अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन दौरान विचारण अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है–

1– आवेदक/अभियुक्त दौरान विचारण, न्यायालय को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा और अपने स्तर से विचारण में कोई विलम्ब कारित नहीं करेगा।

2– आवेदक/अभियुक्त उक्त प्रकरण के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को तथ्य प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई उत्प्रेरण, धमकी या प्रलोभन नहीं देगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा,

3– आवेदक/अभियुक्त बिना न्यायालय की अनुमति व आदेश के भारत नहीं छोडेगा,

4– आवेदक/अभियुक्त ऐसा अपराध, जिसे करने का उस पर अभियोग या संदेह है, वैसा कोई अपराध नहीं करेगा और उसके द्वारा विचारण में सहयोग न देने की शिकायत पर जाँचोपरान्त किसी भी क्षण अग्रिम जमानत निरस्त की जा सकेगी।

निष्कर्षतः आवेदक /अभियुक्त **सुन्दर** का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए आदेशित किया जाता है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुवलिग 1,00,000/– (एक लाख) रूपए की दो विश्वसनीय जमानतें व समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र अविलम्ब नियमानुसार सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत किए जायँ।

दिनांक–17.04.2026

(विकास कुमार–I)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
I.D.No.–UP1910

सन्देश वर्मा, पी.एस.